न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा०प० संख्या 65 / 2020

दिनेश कुमार मण्डीवाल पुत्र शिशराम मण्डीवाल, जाति बलाई निवासी ग्राम खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

–प्रार्थी–

बनाम

1. कमला पुत्री जोधा
2. कुरड़ाराम
3. खीवांराम पुत्रगण लिक्षमण
4. जगदेव पुत्र सुन्डाराम
5. जमनी पत्नि सुन्डाराम
6. झाबरमल पुत्र लिछमण
7. ताराचन्द पुत्र दीपा
8. दुर्गी पत्नी सुल्तान
9. प्रहलाद
10. बेगाराम पुत्रगण सुल्तान
11. मदनलाल पुत्र लिछमण
12. महावीर पुत्र सुल्तान
13. मोहनी पुत्री जोधा
14. राजकुमार पुत्र मनोहरलाल
15. रामचन्द्र पुत्र दीपा
16. रामेश्वर पुत्र जोधा
17. राहिताश कुमार पुत्र दीपा
18. विनोद पुत्र मनोहरलाल
19. सन्तोष पुत्री जोधा
20. सुमन पुत्री मनोहरलाल

26/2/20

Scanned with Oken Scanner

21. रामचन्द्र पुत्र दीपा समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर
22. उप पंजीयक सीकर
23. तहसीलदार, सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थित – वकील वादी– श्री विधाधर सुण्डा
वकील प्रतिवादीगण – हैतराम मील

निर्णय

दिनांक : 26.12.2022

वकील वादी ने एक दावा मय आवेदन 212 आरटीएक्ट के पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1084 रकबा 3.7400 है0 वाके ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमे प्रार्थी का 281/4675 हिस्सा है एवं शेष पर अप्रार्थीगण्र संख्या 1 ता 21 का हिस्सा है। उक्त भूमियां प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 21 की सयुंक्त कब्जे काश्त का भूमियां है जिनका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । भूमियां संयुक्त होने के कारण वादी आपने हिस्से की भूमियों का विकास नहीं कर पा रहा हैं और ना ही सरकारी सहायताऐं प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 को बंटवारा करवाने के लिये कहा तो इंकार कर दिया तथा धमकी दी कि हम कोई बंटवारा नहीं करवायेगें हम तो इस जमीन को बेचान करेंगें जिसके लिये हमने बात कर रखी है। बेचान करने के बाद मान मानी जगह पर कब्जा करवायेगें। बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये बिना विवादित आराजियात को बेचान करना व मनमानी जगह पर कब्जा कराना कानूनन गलत है। प्रार्थी को उसके हिस्से के बलात बेदखल करने व उसके कानूनी उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को असीम हानी होगी । इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

26/12/22

Scanned with Oken Scanner

प्रा0प0 प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5, 7, 14 व 16 ता 21 की ओर से एड. हेतुराम गील हाजिर रहे। जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 21 से जरिये विक्रय पत्र जमीन क्रय की है जो अजनबी व्यक्ति है। वंशावली गलत है। गोमा के वारिसान का उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। प्रार्थी पूर्व में खातेदार नहीं रहा है इसलिये बाहमी बंटवारे के बाबत किसी प्रकार से आपत्ति करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तुत आवेदन की आड़ में अप्रार्थीगण के मध्य आपस में विवाद करवाने की कुचेष्टा कर रहा है। बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी कानूनन अजनबी क्रेता है इस कारण अप्रार्थीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने निवेदन किया कि बहस आदेश 39 नियम 4 सीपसी के बजाये मूल आवेदन पर ही सुनी जावे क्योंकि उपस्थित अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। वकील अप्रार्थी ने भी अपनी सहमति प्रदान की। बहस मूल आवेदन पर सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 21 विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थीगण के परिवार का सदस्य नहीं है। जवाब आवेदन के अनुसार प्रार्थी एक अजनबी क्रेंता है। इस बात का खण्डन वकील प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है कि वह विवादित आराजी में एक अजनबी क्रेता खातेदार है। जब प्रार्थी स्वयं संयुक्त खातेदारी की भूमि सह खातेदार से क्रय करके खातेदार बना है तो उसे अन्य सह खातेदारों को किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार बिना किसी ठोस कारण के प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रबल दिखाई देता हो। वाद में पक्षकारान की सहमती से बंटवारे हेतु प्राथमिक डिक्री भी जारी की जा चुकी है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रबल नहीं है जिसके कारण उसे कोई सुविधा दिया जाना न्यायोचित नहीं है ना ही प्रार्थी को कोई अपूरणिय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

26/12/22

Scanned with Oken Scanner

काश्तकार अधिनियम बाबत आराजी खसरा नम्बर 1084 रकबा 3.7400 है0 वाके ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Scanned with Oken Scanner